IJAER/ November-December 2021 /Volume-10/Issue-3 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

# मध्य काल में महिलाओं की स्थिति

डॉ सीमा पाण्डेय

सहायक प्राध्यापक इतिहास

गुरुघासीदास विश्व विद्यालय बिलासपुर (सी जी)

**सारः**

मुगलकालीन भारतीय समाज में स्त्रियों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। उन्हें केवल मनोरंजन एवं भोग – विलास का साधन समझा जाता था। मुस्लिम एवं हिन्दू स्त्रियों में अनेक प्रकार की कुप्रथाए प्रचलित थीं। इन बुरी प्रथाओं के कारण स्त्रियों का जीवन जानवरों जैसा था। केवल उच्च वर्ग से संबंधित स्त्रियो को कुछ अधिकार प्राप्त थे। लेकिन निम्न वर्ग की स्त्रियों की दशा दयनीय थी।

**मुख्य शब्द : समाज , अधिकार , रीति – रिवाज , सतीप्रथ**

**भूमिका :–**

मुगलकाल में स्त्रियों की स्थिति काफी दयनीय थी। उनको व्यक्तियों के समान अधिकार प्राप्त नही थे। कुछ उच्च वर्ग की महिलाओं की दशा ठीक थी। लेकिन वह महिलाएं संख्या में बहुत कम थी जबकि निम्न वर्ग की महिलाए संख्या में बहुत ज्यादा थी जिसके साथ अनेक अत्याचार किए जाते थे। मुगलकाल में भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा को शोधकर्ता वर्गो में बाटता है।

**मुगल काल के दौरान महिलाओं की स्थिति**

हिंदू महिलाओं ने अपने परिवार में सम्मान का आनंद लिया, धार्मिक समारोहों में भाग लिया, शिक्षित हुए और उनमें से कई ने विद्वानों की ख्याति अर्जित की।

फिर भी, सामान्य तौर पर, समाज में उनकी स्थिति खराब हो गई थी और वे कई सामाजिक बुराइयों से पीड़ित थे।

आम तौर पर, समाज में एकरसता का प्रचलन था। लेकिन अमीर लोगों के बीच एक आदमी कई पत्नियां रख सकता था। विधवा फिर से शादी नहीं कर सकती थी। वे या तो अपने पति की चिता पर सती हो गईं या महिला–पुरुष के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। मुसलमानों को हमेशा या तो छेड़छाड़ करने के लिए या हिंदू–महिलाओं को पकड़ने के लिए तैयार किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप बाल–विवाह और पुरदाह व्यवस्था होती थी।

इसने समाज में उनकी शिक्षा और आंदोलनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसलिए, उन्हें केवल घरों में शिक्षा प्रदान की जा सकती थी जो सिर्फ अमीरों द्वारा वहन की जा सकती थी। बेटी के जन्म को एक अपशकुन माना जाता था और इसके परिणामस्वरूप महिला–शिशु हत्या प्रचलन में था।

हालाँकि, निचली जातियाँ इनमें से कई सामाजिक बुराइयों से मुक्त रहीं। उनमें कोई पुरदाह व्यवस्था नहीं थी और उनकी औरतें तलाक और पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र थीं। यहां तक कि उनके बीच विधवा–विवाह की भी अनुमति थी।

देवदासी प्रणाली एक और सामाजिक बुराई थी जो हिंदुओं में प्रचलित थी। सुंदर अविवाहित लड़कियों को भगवान पाप मंदिरों की छवियों की पेशकश की गई थी, जहां उन्होंने अपना जीवन देवताओं के नौकरानियों के रूप में गुजारा। यह न केवल उनके जीवन के लिए गंभीर अन्याय था, बल्कि मंदिरों में भ्रष्टाचार भी था।

कुछ अन्य परिवर्तन थे जो मुसलमानों के संपर्क के कारण हिंदुओं ने स्वीकार किए थे। हिंदुओं ने धर्मान्तरित हिन्दू–धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उनके कपड़ों, खान–पान, सामाजिक आदतों और कुछ रीति–रिवाजों में भी बदलाव हुए।

मुस्लिम महिलाओं को भी समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं थी। बहुविवाह मुसलमानों में व्यापक रूप से प्रचलित था। प्रत्येक मुसलमान को कम से कम चार पत्नियाँ या दास रखने का अधिकार था। पुरोधा– प्रणाली को मुस्लिम–महिलाओं के बीच सख्ती से देखा गया था।

वे इस सामाजिक–प्रथा के कारण शिक्षा से वंचित थे। हालांकि, हिंदू महिलाओं की तुलना में उन्हें कुछ मामलों में बेहतर रखा गया था। वे अपने पति, पुनर्विवाह को तलाक दे सकते थे और अपने माता–पिता की संपत्ति में अपने हिस्से का दावा कर सकते थे। मुस्लिम महिलाओं में सती प्रथा नहीं थी।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति सल्तनत की अवधि के दौरान पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक हीन थी और वे कई सामाजिक बुराइयों और अन्य बाधाओं से पीड़ित थीं। मुख्य रूप से, महिलाओं को भोग की वस्तु के रूप मे देखा जाता था।

**1– उच्च वर्ग में स्त्रियों की स्थितिः –**

मुगलकालीन भारतीय समाज में उच्च वर्ग की महिलाओं को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। संबंधित स्त्रियों का समाज में सम्मान था। उनकी उचित शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। मुगल बादशाह अपनी बेगमों का पूर्ण ध्यान रखते थे। उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए थे। मुगलकाल की राजनीति में , बाबर की मां , बहन , जहाँगीर की पत्नी , शाहजहां की पत्नी , औरंगजैब की बहन आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पास बड़ी – 2 जागीरें होती थी। उन्हें विशेष अनुदान भी प्राप्त होते थे। इन स्त्रियों ने शिक्षा , व्यापार , चित्रकला , संगीत कला , नृत्य कला को प्रोत्साहन देने में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस वर्ग की स्त्रियां हृदय से उद्वार एवं दयालु होती थी। वे महलो की सजावट की ओर भी विशेष दिलचस्पी लेती थी। उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा था। उनके रहन – सहन , वस्त्र , आभूषण उच्च कोटि के थे। वे शाही जीवन व्यतीत करती थीं।

**जन – साधारण वर्ग में स्त्रियों की स्थिति :**

मुगलकालीन भारतीय समाज में जन साधारण वर्ग की स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। समाज ने जो अधिकार पुरूषों को दिए थे स्त्रियों को उनसे वंचित रखा गया था। समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरूषों के जूतों के समान समझी जाती थी। उन्हें केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। बादशाह एवं अमीर वर्ग के लोगों ने बड़े – बड़े हरम बनाए हुए थे। इन हरमों में हजारों की संख्या में अत्यन्त सुन्दर स्त्रियां रखी जाती थीं। वे अपनी अदाओं , नृत्य एवं संगीत द्वारा पुरूषों का मनोरंजन करती थी। प्रसन्न होने पर बादशाह व अन्य अमीर उन्हें बहुमूल्य उपहार भेंट करते थे। वे अपनी यौवनावस्था तक हरम में रह सकती थी। उसके पश्चात् उन्हें वहां से निकाल दिया जाता था। शेष जीवन में वे दर – दर की ठोकरें खाने के लिए बाध्य हो जाती थी। उस समाज में प्रचलित निम्नलिखित कुप्रथाओं ने उनकी स्थिति को नरक के समान बना दिया था।

**कन्या वधः –**

हिन्दू समाज में उस समय लड़कियों के जन्म को अपशकुन माना जाता था। समाज में प्रचलित रीति – रिवाज के अनुसार लड़की के विवाह पर बहुत खर्च होता था। समाज का अद्यिकोश वर्ग निर्धन था और वह इतना भारी खर्च नहीं कर सकता था। लड़की का विवाह न होना धर्म और समाज के विरूद्ध समझा जाता था। इसके अतिरिक्त मुसलमान हिन्दुओं की जवान लड़कियों को बलपूर्वक उठाकर ले जाते थे। इसलिए बहुत से हिन्दु लड़की के जन्म लेते ही उसे मार देते थे।

उस समय समाज में प्रचलित रीति – रिवाजों के अनुसार लड़कियों का विवाह बहुत ही छोटी आयु भाव 6 से 8 वर्ष के भीतर कर दिया जाता था। परिणामस्वरूप उनकी शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। छोटी आयु में विवाह होने के कारन उन्हें गृहस्थी की सभी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थी। कम उम्र में सन्तान पैदा होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था।

**सती – प्रथा :**

मुगलकालीन समाज की सबसे बडी बुराई सती प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे बलपूर्वक पति की चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था। पति की मृत्यु के समय यदि कोई स्त्री गर्भवती होती थी तो उसे बच्चे को जन्म देने के बाद पति की किसी वस्तु के साथ सती कर दिया जाता था। समाज में विद्यवा बनकर जीने से अच्छा अद्यिकोश स्त्रियां स्वयं सती हो जाना पसन्द करती थी।

**विधवा पुनः विवाह पर रोक :**

उस समय समाज में विधवा का जीवन नरक के समान था। समाज द्वारा विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं थी। विधवा के बाल काट दिए जाते थे। उसके हार श्रृंगार पर पाबन्दी लगाई जाती थी। उसे घरेलू खुशी तथा त्यौहारों के अवसरों पर सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं थी। विधवा का सभी निरादर करते थे। समाज में उनका जीवन अछुत के समान था।

**बहु विवाह :**

मुसलमानों तथा उच्च वर्ग के हिन्दुओं में बहु – विवाह की प्रथा प्रचलित थी। प्रत्येक मुसलमान चार विवाह कर सकता था। उन में तलाक प्रथा बहुत प्रचलित थी। वे पहली पत्नियों को तलाक देते जाते थे तथा एक विवाह और करते रहते थे। अधिक पत्नियों के कारण उनमें आपसी झगड़े चलते रहते थे। इनके अतिरिक्त वे बड़ी संख्या में रखोलें भी रखते थे। संक्षेप में इस प्रथा ने स्त्रियों की दशा को और दयनीय बना दिया था।

**पर्दा प्रथा :**

मुगल काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। मुस्लिम स्त्रियों में पर्दा प्रथा पर बहुत बल दिया जाता था। घर की चारदीवारी में भी वे पर्दे में रहती थीं। वे घर में आने वाले मेहमानों एवं रिश्तेदारों के समक्ष बिना पर्दे के नहीं आ सकती थी। घर से बाहर जाते समय भी उन्हें सदैव पर्दे में रहना पड़ता था। यदि कोई स्त्री बिना पर्दा बाजार में जाती तो उसे बलपूर्वक वेश्याओं के सुपुर्द कर दिया जाता था। हिन्दू स्त्रियों ने भी इस प्रथा को मुसलमानों से अपना लिया था। इसके पीछे उनका उद्देश्य मुसलमानों से अपने इज्जत की रक्षा करना था। निम्न वर्ग की स्त्रियों में यह प्रथा प्रचलित नहीं थी क्योंकि उन्हें अपने जीवन के निर्वाह के लिए खेतों , कारखानों व लोगों के घरों में कार्य के लिए जाना पड़ता था।

**मध्यकाल में महिलाएँ।**

मध्यकालीन भरतीय इतिहास में भारतीय महिलाओं की स्थिती में गिरावट तब आयी जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा , बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक , सामाजिक जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जीत ने पर्दा प्रथा को भारतीय समाज में लाया । राजस्थान के राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियां या मंदिर की महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था। बहुविवाह की प्रथा हिन्दू क्षत्रिय शासकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। कई मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को जनाना क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया था।

इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति , साहित्य , शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की। रज़िया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सम्राज्ञी बनीं। गोंड की महारानी दुर्गावती ने 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ़ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले पंद्रह वर्षों तक शासन किया था। चांद बीबी ने 1590 के दशक में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ़ अहमदनगर की रक्षा की। जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया और मुगल राजगद्दी के पीछे वास्तविक शक्ति के रूप में पहचान हासिल की। मुगल राजकुमारी जहाँआरा और जेबुन्निसा सुप्रसिद्ध कवियत्रियाँ थीं और उन्होंने सत्तारूढ़ प्रशासन को भी प्रभावित किया। शिवाजी की माँ जीजाबाई को एक योद्धा और एक प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता के कारण क्वीन रीजेंट के रूप में पदस्थापित किया गया था। दक्षिण भारत में कई महिलाओं ने गाँवों , शहरों और जिलों पर शासन किया और सामाजिक एवं धार्मिक संस्थानों की शुरुआत की।

भक्ति आंदोलन ने महिलाओं की बेहतर स्थिति को वापस हासिल करने की कोशिश की और प्रभुत्व के स्वरूपों पर सवाल उठाया। एक महिला संत – कवयित्री मीराबाई भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थीं। इस अवधि की कुछ अन्य संत – कवियत्रियों में अक्का महादेवी , रामी जानाबाई और लाल देद शामिल हैं। हिंदुत्व के अंदर महानुभाव , वरकारी और कई अन्य जैसे भक्ति संप्रदाय , हिंदू समुदाय में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक न्याय और समानता की खुले तौर पर वकालत करने वाले प्रमुख आंदोलन थे।

भक्ति आंदोलन के कुछ ही समय बाद सिक्खों के पहले गुरु , गुरु नानक ने भी पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के संदेश को प्रचारित किया। उन्होंने महिलाओं को धार्मिक संस्थानों का नेतृत्व करने ; सामूहिक प्रार्थना के रूप में गाए जाने वाले वाले कीर्तन या भजन को गाने और इनकी अगुआई करने ; धार्मिक प्रबंधन समितियों के सदस्य बनने ; युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने ; विवाह में बराबरी का हक और अमृत ( दीक्षा ) में समानता की अनुमति देने की वकालत की। अन्य सिख गुरुओं ने भी महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ उपदेश दिए।

मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आयी। अशिक्षा और रूढियाँ जकड़ती गई , घर की चार दीवारी में कैद होती गई और नारी एक अबला , रमणी और भोग्या बनकर रह गई। आर्य समाज इत्यादी समाज – सेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा आदि के लिए प्रयास आरम्भ किए। उन्नीसवीं सदीं के पूर्वार्द्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों जैसे राजाराम मोहन राय , दयानन्द सरस्वती , ईश्वरचन्द विद्यासागर तथा केशवचन्द्र सेन ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरूद्ध आवाज उठायी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री पुरूष समानता , स्त्री शिक्षा , सती प्रथा पर रोक तथा बहु विवाह पर रोक की आवाज उठायी। इसी का परिणाम था सती प्रथा निषेध अधिनियम ,1829,1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ,1891 में एज आफ कन्सटेन्ट बिल ,1891 , बहु विवाह रोकने के लिये वेटिव मैरिज एक्ट पास कराया। इन सभी कानूनों का समाज पर दूरगामी प्रभावत हुआ। तुलनात्मक रूप से नारी की स्थिती में सकारात्मक रूप से परिवर्तन आया। आने वाले समय में स्त्री जागरूकता में वृद्धि

हुई और नए नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ जिनकी मुख्य मांग स्त्रियों की शिक्षा , दहेज , बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक , महिला अधिकार की माँग की गई।

महिलाओं के पुनरोत्थान का काल ब्रिटिश काल से शुरू होता है। ब्रिटिश शासन की अवधि में हमारे समाज की सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं में अनेक परिवर्तन किए गए। ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों की अवधि में स्त्रियों के जीवन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनेक सुधार आये। औद्योगीकरण , शिक्षा का विस्तार , सामाजिक आन्दोलन व महिला संगठनों का उदय व सामाजिक विधानों ने स्त्रियों की दशा में एक सकारात्मक सुधार की शुरूआत की।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा , आर्थिक निर्भरता , धार्मिक निषेध , जाति बन्धन , स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरूषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। मेटसन ने हिन्दू संस्कृ ति में स्त्रियों की एकान्तता तथा उनके निम्न स्तर के लिए पांच कारकों को उत्तरदायी ठहराया है , यह है – हिन्दू धर्म , जाति व्यवस्था , संयुक्त परिवार , इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद। हिन्दूवाद के आदर्शों के अनुसार पुरूष स्त्रियों से श्रेष्ठ होते हैं और स्त्रियों व पुरूषों को भिन्न – भिन्न भूमिकाएँ निभानी चाहिए। स्त्रियों से माता व गृहणी की भूमिकाओं की और पुरूषों से राजनीतिक व आर्थिक भूमिकाओं की आशा की जाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा उनकी आर्थिक , सामाजिक , शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में समाहित करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। महिलाओं को विकास की मध्य धारा में प्रवाहित करने , शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हे अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोंच में मूलभूत परिवर्तन लाने , आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरूचि उत्पन्न कर उन्हे आर्थिक – सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की ओर अग्रसित करने जैसे अहम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पिछले कुछ दशकों में विशेष प्रयास किये गए हैं।

उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर इक्कीसवीं सदी तक आते – आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं ने शैक्षिक , राजनीतिक सामाजिक , आर्थिक , धार्मिक , प्रशासनिक , खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम तय किए। आज महिलाएँ आत्मनिर्भर , स्वनिर्मित , आत्मविश्वासी हैं , जिसने पुरूष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह केवल शिक्षिका , नर्स , स्त्री रोग की डाक्टर न बनकर इंजीनियर , पायलट , वैज्ञानिक , तकनीशियन , सेना , पत्रकारिता जैसे नए क्षेत्रों को अपना रही है। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल , लोकसभा स्पीकर के पद पर मीरा कुमार , कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी , उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती , वसुन्धरा राजे , सुषमा स्वराज , जयललिता , ममता बनर्जी , शीला दीक्षित आदि महिलाएँ राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष पर हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी मेधा पाटकर , श्रीमती किरण मजूमदार , इलाभट्ट , सुधा मूर्ति आदि महिलाएँ ख्यातिलब्ध हैं। खेल जगत में पी . टी . ऊषा , अंजू बाबी जार्ज , सुनीता जैन , सानिया मिर्जा , अंजू चोपड़ा आदि ने नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आई . पी . एस . किरण बेदी , अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आदि ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अपने बुद्धि कौशल का परिचय दिया है।

20 वीं सदी के उत्तरार्द्ध और अब 21 वीं सदी के प्रारम्भ में बराबरी व्यवहार वाले जोड़े बनने लगे हैं। नौकरी करने वाली नारी की ओर पुरूष के विचारों में बदलाव आया है। पहले नौकरी वाली औरत के पति को श्श औरत की कमाई खाने वाला श्श कह कर चिढ़ाया जाता था। आज यह सोच बदल चुकी है। स्त्री स्वातय में अर्थशास्त्र का योगदान अद्भुत है। स्त्रियां धन कमाने लगीं हैं तो पुरूष की मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। आर्थिक दृष्टि से नारी अर्थचक्र के केन्द्र की ओर बढ़ रही है। विज्ञापन की दुनियां में नारियां बहुत आगे हैं। बहुत कम ही ऐसे

विज्ञापन होंगे जिनमें नारी न हो लेकिन विज्ञापन में अश्लीलता चिन्तन का विषय है। इससे समाज में विकृतियाँ भी बढ़ रही हैं। अर्थशास्त्र ने समाजशास्त्र को बौना कर दिया है।

आज की नारी राजनीति , कारोबार , कला तथा नौकरियों में पहुचकर नए आयाम गढ़ रही हैं। भूमण्डलीकृत दुनियां में भारत और यही की नारी ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली है। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में 50 प्रतिशत महिलाऐं डाक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं। आजादी के बाद लगभग 12 महिलाएँ विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारत के अग्रणी साफ्टवेयर उद्योग में 21 प्रतिशत पेशेवर महिलाऐं हैं। फौज , राजनीति , खेल , पायलट तथा उद्यमी सभी क्षेत्रों में जहाी वषरें पहले तक महिलाओं के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वहां सिर्फ नारी स्वयं को स्थापित ही नहीं कर पायी है बल्कि वहां सफल भी हो रही हैं।

यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना ही

होगा । महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जाएगा। – जवाहर लाल नेहरू ने महिलाओं को शिक्षा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये जो सुधार आन्दोलन प्रारम्भ किए उससे समाज में एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई है। बाल – विवाह , भुष – हत्या पर सरकार द्वारा रोक लगाने का अथक प्रयास हुआ है । शैक्षणिक गतिशीलता से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ है । गाीधीजी ने कहा था कि एक लड़की की शिक्षा एक लड़के की शिक्षा की उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है किन्तु एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है । शिक्षा ही वह कुंजी है जो जीवन के वह सभी द्वार खोल देती है जो कि सामाजिक रू‍ से आवश्यक है । शिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने में बहुत मदद मिली । महिलाएँ अपनी स्थिति व अपने अधिकारों के विषय में सचेत होने लगी । शिक्षा ने उन्हें आर्थिक , राजनैतिक व सामाजिक न्याय तथा पुरूष के साथ समानता के अधिकारों की मीग करने को प्रेरित किया ।

संवैधानिक अधिकारों में विभिन्न कानूनों के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार मिलने से उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ । महिलाओं की विवाह विच्छेद परिवार की सम्पत्ति में पुरूषों के समान अधिकार दिए गए । दहेज पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा तथा उन व्यक्तियों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की गयी जो दहेज की मांग को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं । अब सरकार लिव इन पर विचार कर रही है । संयुक्त परिवारों के विघटन होने से जैसे – जैसे एकाकी परिवार की संख्या बढ़ी इनमें न केवल महिलाओं को सम्मानित स्थान मिलने लगा बल्कि लड़कियों की शिक्षा को भी एक प्रमुख कारक के रूप में देखा जाने लगा । वातावरण अधिक समताकारी होने से महिलाओं को अपने वयक्तित्व का विकास करने के अवसर मिलने लगे ।

महिलाओं की शिक्षा समाज का आधार है । समाज द्वारा पुरूष को शिक्षित करने का लाभ केवल पुरूष को होता है जबकि महिला शिक्षा का स्पष्ट लाभ परिवार , समाज एवं सम्पूर्ण राष्ट्र को होता है । चूंकि महिला ही माता के रूप में बच्चे की प्रथम अध्यापक बनती है । महिला शिक्षा एवं संस्कृति को सभी क्षेत्रों में पर्याप्त समर्थन मिला। यद्यपि कुछ समय तक महिला शिक्षा के समर्थक कम किन्तु आज समय एवं परिस्थितियों ने महिला शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है ।

स्त्री और मुक्ति आज भी नदी के दो किनारे की तरह है जो कभी मिल नहीं पाती सतही तौर पर देखा जाए तो लगता है कि भारत ही नहीं , विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाती हुई स्त्रियों ने अपनी पुरानी मान्यताएँ बदली हैं। आज स्त्री की अस्मिता का प्रश्न मुखर होता जा रहा है। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिये संघर्ष करती हुई स्त्रियों ने लम्बा रास्ता तय कर लिया है , परन्तु आज भी एक बड़ा हिस्सा सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार

है। श्श जब – जब स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है तब तब जाने कितने रीति – रिवाजों , परम्पराओं पौराणिक आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है। श्श

वस्तुतः इक्कीसवीं सदी महिलाओं की सदी है। वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इसमें महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज को महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका के संबंध में जागरूक बनाने के प्रयास किए गए। महिला सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2001 में प्रथम बार प्रथम बार श्श राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति श्श बनाई गई जिससे देश में महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत विशेषताए निर्धारित किया जाना संभव हो सके। इसमें आर्थिक सामाजिक , सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का सैद्धान्तिक तथा वस्तुतः उपभोग पर तथा इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी व निर्णय स्तर तक समान पहुँच पर बल दिया गया है।

आज देखने में आया है कि महिलाओं ने स्वयं के अनुभव के आधार पर , अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिलें , नये रास्तों का निर्माण किया है। क्या मात्र इस आधार पर उस सफलता के पीछे क्षणांश भी किसी पुरुष के हाथ होने की सम्भावना को नकार दिया जाएगा ? यदि नहीं तो फिर समस्या कहाँ है ? मैं कौन हूँ का प्रश्न अभी भी उत्तर की आस में क्यों खड़ा है ?
जवाब हमारे सभी के अन्दर ही है पर उसको सामने लाने में हम घबराते भी दिखते हैं। स्त्री को एक देह से अलग एक स्त्री के रूप में देखने की आदत को डालना होगा। स्त्री के कपड़ों के भीतर से नग्नता को खींच – खींच कर बाहर लाने की परम्परा से निजात पानी ही होगी। कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी समाज में व्यवस्था के संचालन में तो सहयोगी हो सकते हैं किन्तु इसके अपरिहार्य रूप से किसी भी व्यक्ति पर लागू किये जाने से इसके विरोध की सम्भावना उतनी ही प्रबल हो जाती है जितनी कि इसको लागू करवाने की। क्या बिकाऊ है और किसे बिकना है ? , अब इसका निर्धारण स्वयं बाजार करता है। हमें तो किसी को बिकने और किसी को जोर जबरदस्ती से बिकने के बीच में आकर खड़े होना है। किसी की मजबूरी किसी के लिए व्यवसाय न बने यह समाज को ध्यान रखना होगा।

नग्नता और शालीनता के मध्य की बारीक रेखाएँ समाज स्वयं बनाता और स्वयं बिगाड़ता है। एक नजर में उसका निर्धारक पुरुष होता है तो दूसरी निगाह उसका निर्धारक स्त्री को मानती है। उचित और अनुचित , न्याय और अन्याय , विवेकपूर्ण और अविवेकपूर्ण , स्वाधीनता और उच्छृंखलता , दायित्व और दायित्वहीनता , श्लीलता और अश्लीलता के मध्य के धुँधलके को साफ करना होगा। समाज में सरोकारों का रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी भी स्त्री – पुरुष का। सामाजिकता के निर्वहन में स्त्री – पुरुष को समान रूप से सहभागी बनना होगा और इसके लिए स्त्री पुरुष को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझे तथा पुरुष भी स्त्री को एक देह नहीं , स्त्री रूप में एक इंसान स्वीकार करे। स्त्री की आज़ादी और खुले आकाश में उड़ान की शर्त के आधार हो। स्त्री की असली आज़ादी तभी होगी जब उसके दिमाग की स्वीकार्यता हो , न कि केवल उसकी देह की। अन्ततः कहीं ऐसा न हो कि स्त्री स्वतन्त्रता और स्वाधीनता का पर्व सशक्तिकरण की अवधारणा पर खड़ा होने के पूर्व ही विनष्ट होने लगे और आने वाली पीढ़ी फिर वही सदियों पुराना प्रश्न दोहरा दे कि श्श मैं कौन हूँ ?श्श

**निष्कर्ष :–**

मुगलकालीन समाज में स्त्रियों की दशा तथा जीवन बहुत दयनीय थी। समाज में पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त नही थे। उनको सभी स्वतंत्रता तथा खुशीयों और तो और त्योहार से भी दुर रखा जाता था। राजा – महाराजाओं की परिवार तथा रिश्तेदारी के घरों में महिलाएं की वो स्थिति नहीं थी जो साधारण परिवारों के घरों की स्त्रियों की थी।

**संदर्भ – सूचीः**


1ण मना गोड़ , भारत का इतिहास , 1995, पृ . 165

2ण सुमित सरकार , भारत का इतिहास , 1999 पृ 0 111

3. Dr- A-B- Pandey Later Medieval India] P- 487

4. Dr- G-C- Narang] Transportation of Sikhism] 1989] p- 30-

5ण 5. क्त. ज्ञ.स.ैतपअेंजंअं, डमकपमअंस प्दकपंद ब्नसजनतम, 1975, च. 44

6ण राजकुमार डा 0 नारी के बदले आयाम , अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 2005

7ण भारतीय संविधान , अनु 0 14,15,16,19,21,23,39

8ण गुप्ता कमलेश कुमार , महिला सशक्तिकरण , बुक एनक्लेव , जयपुर

9ण सिंह करण बहादुर , महिला अधिकार व सशक्तिकरण , कुरूक्षेत्र , मार्च 2006

10ण सुरेश लाल श्रीवास्तव , राष्ट्रीय महिला आयोग , कुरूक्षेत्र , मार्च 2007

11ण गौतम हरेन्द्र राज , महिला अधिकार संरक्षण , कुरूक्षेत्र मार्च 2006

12ण व्यास , जय प्रकाश , नारी शोषण , ज्ञानदा प्रकाशन , 2003

13ण शैलजा नागेन्द्र , वोमेन्स राइट्स , ए डी वी पब्लिशर्स जयपुर , 2006

14ण आहुजा , राम ( 1999) भारतीय सामाजिक व्यवस्था , रावत प्रकाशन जयपुर , नई दिल्ली।

15ण अल्टेकर , ए 0 एस 0 (1956) द पोजीशन ऑफ वोमेन इन हिन्दु सिविलाइजेशन , मोतीलाल बनारसी लाल , वाराणसी

16ण हसनैन , नदीम ( 2004) समकालीन भारतीय समाज , भारत बुक सेन्टर , लखनऊ।

17ण जोशी , पुष्पा ( 1988) गांधी आन वोमन , सेन्टर फार वोमन श स डेवलपमेन्ट स्टडीज , दिल्ली

18ण मिश्र , जयशंकर ( 2006) प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास , बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी , पटना

19ण श्रीनिवास , एम 0 एन 0 (1978) द चेन्जिग पोजीशन ऑफ इण्डिया वूमन , आक्सफोर्ड , यूनिवर्सिटी प्रेस , बाम्बे

20ण राजनारायण डॉ 0, स्त्री विमर्श और सामाजिक आन्दोलना